न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 07/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/36

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
बाबुलाल पुत्र सुराराम जाति घांची निवासी भिमालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. स्व. हरजी पुत्र लालाराम जाति घांची के कायम मुकाम 1/1 मोकाराम पुत्र हरजी जाति घांची 2. ग्राम पंचायत भिमालिया, जरिये सरंपच ग्राम पंचायत भिमालिया, पंचायती समिति खारची तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश आर्य।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत भिमालिया द्वारा मिसल संख्या 38/58–59, संकल्प संख्या निल दिनांक 31.12.1961 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 25.11.1962 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि से भिन्न गैर मुमकीन मगरा की भूमि में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम की वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 805 की भूमि गै.मु.मगरा के रूप में दर्ज है, जिस पर अप्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत भिमालिया द्वारा मिसल संख्या 38/58–59, संकल्प संख्या निल दिनांक 31.12.1961 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 25.11.1962 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि से

अति. जिला कलक्टर, पाली

भिन्न गै.मु.मगरा की भूमि पर प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया। इस तथ्य की पुष्टि हेतु अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह तथ्य प्रकाश में आता है कि खसरा संख्या 805, किस्म गै.मु.मगरा पर सम्वत् 2067 एवं 2068 के दौराने अप्रार्थी द्वारा मकान एवं बाड़ा बनाकर कब्जा किया गया था, जो कि स्वभातः अवैध कब्जा था। तत्पश्चात् सम्वत् 2074, 2075, 2076, 2079 के गैर मुस्तकिल काश्त विवरण में भी उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा पाया जाना अभिलेखित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित भूमि मूलतः सरकारी थी एवं उस पर पूर्व से ही अनाधिकृत कब्जा विद्यमान था। इसके उपरान्त, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 12 दिनांक 25.11.1962 के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि उक्त पट्टा खसरा संख्या 805 गै.मु.मगरा की भूमि पर जारी किया गया, जो कि नियमानुसार पट्टा जारी करने हेतु पात्र भूमि नहीं है। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.04.2011 के प्रस्ताव संख्या 3 एवं ग्राम सभा की बैठक दिनांक 10.05. 2011 के प्रस्ताव संख्या 6 के अवलोकन से यह तथ्य स्थापित होता है कि पट्टे की माप में त्रुटि है तथा पट्टा निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र में जारी किया गया हैं। उक्त प्रस्तावों में यह भी उल्लेखित है कि पट्टे की दक्षिण से उत्तर दिशा में लगभग 12 फीट भूमि गिरधारी सिंह के पुश्तैनी मकान में आ रही है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पट्टा अन्य व्यक्ति की निजी सम्पत्ति पर अतिक्रमण करते हुए जारी किया गया।

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2012 में जारी पत्र एवं सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 06.02.2012 के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि पट्टा संख्या 12 में पश्चिम से पूर्व दिशा में लगभग 7 फीट भूमि मकान में आ रही है तथा कुल लगभग 89 फीट भूमि खसरा संख्या 805 गै.मु.मगरा की सरकारी भूमि को सम्मिलित करते हुए पट्टा जारी किया गया है। साथ ही, उक्त पत्रों में स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे को निरस्त किए जाने की अनुशंसा भी की गई है। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों के क्रमबद्ध विश्लेषण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि प्रश्नगत पट्टा सरकारी (गै.मु.मगरा) भूमि पर तथा अन्य व्यक्ति के पुश्तैनी मकान की भूमि को सम्मिलित करते हुए, नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है। जहाँ तक ग्राम पंचायत की अधिकारिता का प्रश्न है, यह विधिसम्मत रूप से स्थापित है कि ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार प्राप्त है तथा खातेदारी कृषि भूमि में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इस प्रकार ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर गै.मु.मगरा की भूमि पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जो नियमों के अनुसार अमान्य है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Jhumar Ram vs Additional District Collector में प्रतिपादित विधिक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सिद्धान्त के अनुसार ऐसी सार्वजनिक/कॉमन भूमि का निजी व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन किया जाना विधि विरूद्ध है तथा ग्राम पंचायत को इस प्रकार की भूमि के आवंटन का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त Madan Kanwar vs State of Rajasthan & Ors. में यह स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा केवल तभी वैध माना जाएगा जब भूमि पर वास्तविक कब्जा मौजूद हो और राजस्थान पंचायती राज नियम 157 तथा सम्बन्धित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया गया हो। अतः ऐसा पट्टा अधिकार क्षेत्र से परे होकर पारित किया गया माना जाएगा और विधि की दृष्टि में प्रारम्भ से ही शून्य एवं अमान्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भिमालिया द्वारा मिसल संख्या 38/58–59, संकल्प संख्या निल दिनांक 31.12.1961 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 25.11.1962 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत भिमालिया को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)